

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

अधिसूचना

अधिसंख्या—4/कृशिको-13/2020-

2326

/क्र०, पटना, दिनांक 19-04-2022

~~DDA~~
~~SA~~
~~DA~~
बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित एवं बिहार गजट, असाधारण अंक में दिनांक 03 अप्रील 2022 को यथाप्रकाशित बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 की धारा-1(3) के आलोक में यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय।

2. उक्त प्रावधान के आलोक में बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022, इस अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से, प्रवृत्त माना जायेगा एवं इसके प्रावधान स्वतः लागू हो जायेंगे।



बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ एन० सरवण कुमार)
सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/क्र०, पटना, दिनांक 19-04-2022

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/उप सचिव, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति (सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी सहित) बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

Uday Shukla

सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—4/कृशिको-13/2020-2326

/क्र०, पटना, दिनांक 19-04-2022

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Uday Shukla

सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—4/कृशिको-13/2020-2326

/क्र०, पटना, दिनांक 19-04-2022

दिव्यविद्यालय कार्रवाई को सूचनार्थ एवं प्रेषित।



Uday Shukla

सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 4/कृ०शि०को०- 13/2020- 2326 /कृ०, पटना, दिनांक 19-04-2022

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-4/कृ०शि०को०- 13/2020- 2326 /कृ०, पटना, दिनांक 19-04-2022

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार/मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, बिहार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature)
सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

३० चैत्र १९४४ (श०)

(सं० पटना २३४) पटना, बुधवार, २० अप्रील २०२२

कृषि विभाग

अधिसूचना

१९ अप्रील २०२२

सं० ४/कृ०शि०को०-१३/२०२०-२३२६/कृ०—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित एवं बिहार गजट, असाधारण अंक में दिनांक ०३ अप्रील २०२२ को यथाप्रकाशित बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२२ की धारा-१(३) के आलोक में यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय।

२. उक्त प्रावधान के आलोक में बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२२, इस अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से, प्रवृत्त माना जायेगा एवं इसके प्रावधान स्वतः लागू हो जायेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० एन० सरवण कुमार,

सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) २३४-५७१+१०-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 चैत्र 1944 (श०)

(सं० पटना १८०) पटना, रविवार, ३ अप्रील २०२२

विधि विभाग

अधिसूचना

३ अप्रील २०२२

सं० एल०जी०-०१-०२/२०२२-२८४०/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक २ अप्रील २०२२ को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के प्रभारी सचिव।

[बिहार अधिनियम 10, 2022]

बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022

भारत—राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।— (1) यह अधिनियम बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
 (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 (3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो, सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय।
2. बिहार अधिनियम 12, 2010 की धारा 20(2) में संशोधन।— बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 12, 2010) की धारा— 20 (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:—
 "20 (2) कुलपति उच्चतम स्तर की क्षमता, निष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता रखने वाले व्यक्ति होंगे। वे कृषि विज्ञान के ख्याति प्राप्त विद्वान होंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 (दस) वर्षों का अनुभव प्राप्त हो अथवा जिनके पास किसी प्रतिष्ठित शोध या अकादमिक प्रशासकीय संगठन में न्यूनतम 10 (दस) वर्षों का अकादमिक नेतृत्व प्रदर्शन का प्रमाण हो।"
3. बिहार अधिनियम 12, 2010 की धारा 20(3) में संशोधन।— बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 12, 2010) की धारा— 20 (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:—
 "20 (3) सर्व कमिटी की सूचना का व्यापक प्रचार किया जाएगा और वह सभी कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों में जाएगी। सर्व के पैनल का कमिटी चयन करेगी और तीन नामों के पैनल का सुझाव राज्य सरकार को देगी। कुलपति के द्वारा सर्व कमिटी की अनुशंसा तथा राज्य सरकार द्वारा अग्रसारण के आलोक में कुलपति की नियुक्ति की जाएगी।"
4. बिहार अधिनियम 12, 2010 की धारा 20(5) में संशोधन।— बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 12, 2010) की धारा— 20 (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:—
 "20 (5) कुलपति अपने पद पर आसीन होने की तारीख से पाँच वर्षों तक अथवा 70 (सतत) वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, पद धारण करेगा। प्रथम कुलपति की रिक्ति पाँच वर्ष के पूर्व होने पर पाँच वर्ष के अवशेष अवधि के लिए पुनः राज्य सरकार कुलपति नियुक्त कर सकेगी।"

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के प्रभारी सचिव।

3 अप्रील 2022

सं० एल०जी०-०१-०२/२०२२-२८४१/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा dated-02st April, 2022 को अनुमत बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 (बिहार अधिनियम 10, 2022) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
 ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
 सरकार के प्रभारी सचिव।

[Bihar Act 10, 2022]

BIHAR AGRICULTURAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2022

AN ACT

To Amend the Bihar Agricultural University Act, 2010 (Bihar Act, 12, 2010)

Be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the seventy third year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent and commencement. - (1) This Act may be called the Bihar Agricultural University (Amendment) Act, 2022.
 (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 (3) It shall come into force on such date as may be appointed by the Government, by notification, in the official gazette.

-
2. Amendment in Section-20(2) of Bihar Act 12 of 2010. - Section-20(2) of the Bihar Agricultural University Act, 2010 (Bihar Act, 12, 2010) shall be substituted by the following :-
"20(2) The Vice-Chancellor shall be a person possessing the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He should be a distinguished academician with a minimum of 10 (ten) years experience as Professor in a University or 10 (ten) years experience in a reputed research or Academic Administrative organization with proof of having demonstrated Academic leadership, in the field of Agriculture"
3. Amendment in Section-20(3) of Bihar Act 12 of 2010. - Section-20(3) of the Bihar Agricultural University Act, 2010 (Bihar Act, 12, 2010) shall be substituted by the following :-
"20(3) Notice of Search Committee shall be widely publicized and go to all agricultural universities/institutes. The Search Committee will select and suggest a panel of the three names to the State Government. The Chancellor shall appoint suitable candidate as the Vice-Chancellor based on the panel recommended by the committee and *forwarded by the Government*"
4. Amendment in Section-20(5) of Bihar Act 12 of 2010. - Section-20(5) of the Bihar Agricultural University Act, 2010 (Bihar Act, 12, 2010) shall be substituted by the following :-
"20(5) The Vice Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of 70 (seventy) years, whichever is earlier. In case of vacancy of first Vice Chancellor created before five years the state government shall appoint the Vice Chancellor for remaining period of five years."

Jyoti Swaroop Srivastava,
Secretary incharge to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 180-571+400-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>